29 जून, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-45

<u>कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>

<u>(कोविड-19 (COVID-19) कार्यकारी आदेश सं. 43)</u>

चूँकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को,मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लग ातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 26 जून, 2020 को, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बने हुए बोझ के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने के कारण, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनके कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था (इस कार्यकारी आदेश में स्पष्ट की गई पिछली उद्घोषणाओं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ); और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705, और कार्यान्वयनकारी विनियम, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) का टाइटल 8, अनुभाग 1300, इलिनॉय कृषि विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रिकल्चर, IDOA) के लिए 1 जुलाई, 2020 तक अधिकतम 40 क्राफ़्ट ग्रोअर अनुज्ञाएं (लाइसेंस), 410 ILCS 705/30-5(a), अधिकतम 40 इन्फ़्यूज़र अनुज्ञाएं (लाइसेंस), 410 ILCS 705/35-5(a), और असीमित संख्या में परिवहन संगठन अनुज्ञाएं (ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गनाइज़ेशन लाइसेंस), 410 ILCS 705/40-5(a), जारी करना आवश्यक करते हैं; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-03 और कार्यकारी आदेश 2020-17 के अनुसरण में, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट) तथा कार्यान्वयनकारी विनियमों में क्राफ़्ट ग्रोअर, इन्फ़्यूज़र, और परिवहन संगठन अनुज्ञा (लाइसेंस) के आवेदनों को 16 मार्च, 2020 तक जमा करने की समयसीमा 30 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दी गई थी; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप और आवेदन समयसीमाओं के स्थगन ने IDOA की आवेदन समीक्षा प्रक्रिया में विलंब उत्पन्न किए हैं और 1 जुलाई, 2020 तक क्राफ़्ट ग्रोअर, इन्फ़्यूज़र, और परिवहन संगठन अनुज्ञाओं (लाइसेंस) को जारी करने की IDOA की योग्यता को प्रभावित किया है; और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705/20-30(m), 1 जुलाई, 2020 से आरंभ करते हुए, कृषि केंद्रों को परिवहन संगठन अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त किए बिना भांग को अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) किसी भी क्राफ़्ट ग्रोअर, वितरण संगठन, इन्फ़्यूज़र संगठन, या प्रयोगशाला तक पहुंचाने से निषिद्ध करता है; और,

जबकि, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705/25-5(a), IDOA के लिए यह आवश्यक करता है कि वह, इलिनॉय समुदाय महाविद्यालय मंडल (कम्युनिटी कॉलेज बोर्ड) के साथ समन्वय करते हुए, एक सामुदायिक महाविद्यालय भांग व्यावसायिक प्रारंभिक कार्यक्रम (कम्युनिटी कॉलेज केनाबिस वोकेशनल पायलट प्रोग्राम) स्थापित करे, और सामुदायिक महाविद्यालयों के लिए यह आवश्यक करता है कि वे IDOA के पास सामुदायिक महाविद्यालय भांग व्यावसायिक प्रारंभिक कार्यक्रम (कम्युनिटी कॉलेज केनाबिस वोकेशनल पायलट प्रोग्राम) के आवेदन 1 जुलाई, 2020 तक या उससे पहले जमा करा दें, 410 ILCS 705/25-10(a); और,

जबकि, संभव है कि सामुदायिक महाविद्यालयों की आवेदन पूर्ण करके 1 जुलाई, 2020 तक IDOA के पास जमा करने की योग्यता, कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप के कारण, और कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप को संभालने के लिए राज्य द्वारा लागू किए गए उपायों के कारण प्रभावित हो गई हो;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), और 7(12) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, या जब तक IDOA अन्यथा एक नए दिनांक, जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के समापन के बाद नहीं हो सकता, की घोषणा नहीं कर देता तब तक, भांग नियमन एवं कराधान अधिनियम (केनाबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट), 410 ILCS 705, और कार्यान्वयनकारी विनियमों के निम्नलिखित उपबंधों को एतद्द्वारा निम्नवत स्थगित किया जाता है:

a. 410 ILCS 705/30-5(a) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि IDOA 1 जुलाई, 2020 तक अधिकतम 40 क्राफ़्ट ग्रोअर अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी करे, स्थगित की जाती है। IDOA जनता को उक्त अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी किए जाने के दिनांक की सूचना देगा;

b. 410 ILCS 705/35-5(a) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि IDOA 1 जुलाई, 2020 तक अधिकतम 40 इन्फ़्यूज़र अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी करे, स्थगित की जाती है। IDOA जनता को उक्त अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी किए जाने के दिनांक की सूचना देगा; और,

c. 410 ILCS 705/40-5(a) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि IDOA 1 जुलाई, 2020 या उससे पहले परिवहन संगठन अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी करे, स्थगित की जाती है। IDOA जनता को उक्त अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी किए जाने के दिनांक की सूचना देगा।

अनुभाग 2. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, या जब तक IDOA 410 ILCS 705/40-5(a) के अनुसरण में परिवहन संगठन अनुज्ञाएं (लाइसेंस) जारी नहीं कर देता, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, 410 ILCS 705/20-30(m) और 8 इलि. प्रशा. संहिता 1300.195, के अनुसरण में यह आवश्यकता कि 1 जुलाई, 2020 से आरंभ करते हुए, कोई भी कृषि केंद्र परिवहन संगठन अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त किए बिना भांग या भांग के आधान (इन्फ़्यूज़न) से युक्त उत्पादों को अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) किसी भी क्राफ़्ट ग्रोअर, वितरण संगठन, इन्फ़्यूज़र संगठन, या प्रयोगशाला तक नहीं पहुंचाएगा, स्थगित की जाती है।

अनुभाग 3. 410 ILCS 705/25-10(a), और 8 इलि. प्रशा. संहिता 1300.202(a) के अनुसरण में सामुदायिक महविद्यालय भांग व्यावसायिक प्रारंभिक कार्यक्रम (कम्युनिटी कॉलेज केनाबिस वोकेशनल पायलट प्रोग्राम) के आवेदन जमा करने की 1 जुलाई, 2020 की समयसीमा 1 सितंबर, 2020, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के समापन में से जो भी पहले आए उस तक, स्थगित की जाती है।

अनुभाग 4. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

____
जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 29 जून, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 29 जून, 2020 को दायर